426

संख्या–63 /xxxvi(2)/2013-176/01

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2013

विषय– जिला बागेश्वर में स्थापित सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–54/xxxvi(2)/2012-176/01 दिनांक 7–2–2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला बागेश्वर में स्थापित सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायं दिनांक 1–3–2013 से 28–2–2014 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या– 4016/सात–न्याय–2–201/75, दिनांक 19–2–1996 द्वारा किया गया था।

2– उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्ते सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2014–न्याय प्रशासन– 00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश–00 के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।

संख्या–63 (1)/xxxvi(2)/2013-176/01 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
3– सिविल जज (जू0डि0) बागेश्वर, जिला–बागेश्वर।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव।